अति तत्काल

संख्या आर-11016/2/2015-पी0एण्ड सी0

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक 10 जून , 2019

विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए अप्रैल, 2019 माह के मासिक सारांश – के सम्बन्ध में।

*****

उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में **अप्रैल, 2019** माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में सूचनार्थ संलग्न है।

आलोक 10.06.2019

(आलोक कुमार वर्मा)

निदेशक (पी0 एण्ड सी0)

दूरभाष नं0 23381233

सेवा में,

प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1.मंत्रिमंडल के सभी सदस्य

2.पी.आई.ओ./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।

3.उप-राष्ट्रपति जी के सचिव।

4.मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

5.भारत सरकार के सचिव (सूची के अनुसार)।

6.अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।

7.उपाध्यक्ष, नीति आयोग,योजना भवन, नई दिल्ली

8. निदेशक, (एन.आई.सी). को इसे विभाग के वैबसाइट पर अपलोड करवाने के अनुरोध हेतु।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)
******

अप्रैल, 2019 माह के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नलिखित रहीं:

1. राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड (एन.सी.सी.एफ.):

1.1 विद्वान मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दिनांक 18 मार्च 2019 के अपने आदेश द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 09 मई 2018 को पारित किए गए आदेश के प्रचालन को स्थगित किया जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने नवंबर, 2017 में सी.आर.सी.एस. द्वारा पंजीकृत किए गए उपनियमों के संशोधनों को लागू न किए जाने के लिए एन.सी.सी.एफ. को एम.एस.सी.एस. अधिनियम की धारा 122 के अधीन जारी किए गए निर्देशों को स्थगित किया था। खंडपीठ ने आदेश द्वारा एल.पी.ए. को स्वीकृत किया तथा दिनांक 18 मार्च 2019 के अपने अन्तरिम आदेश की पुष्टि की जो रिट याचिका के निपटान तक प्रचालन में रहेगा।

1.2 जहां तक एनसीसीएफ बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का संबंध है, दिनांक 30 अप्रैल 2019 को एक नई एल.पी.ए. एम.एस.सी.एस. अधिनियम की धारा 123 के तहत सरकार के आदेश को कार्यरूप देने के लिए दायर की गई थी। खंडपीठ ने यह निर्देश दिया कि: "हमारा यह विचार हैं कि यदि दिनांक 31.7.2018 के आदेश अर्थात- एक प्रशासक के बिना दिन-प्रतिदिन की कार्यकलापों को पूरा करने; को क्रियान्वित करने में कठिनाई हो रही है, तो अपीलकर्ता रिट न्यायालय के समक्ष आदेश में संशोधन या स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं। फिर यह रिट न्यायालय पर निर्भर करेगा कि वह या तो इस मामले पर शीघ्रातिशीघ्र अंतिम निर्णय लें अथवा कोई अन्य उपयुक्त राहत प्रदान करें।

उपरोक्त स्वतंत्रता की दृष्टि से, अपील को समाप्त किया जाता है।

1.3 श्री कमल चौधरी, तत्कालीन महाप्रबंधक, **एन.सी.सी.एफ.** को बड़ी शास्ति के लिए विभागीय कार्यवाहियों से लंबित रहते हुए 10 मई, 2018 को निलंबित कर दिया गया था। अतः, सीवीसी की प्रथम सलाह लेने के बाद, उन्हें आरोपपत्र दिया गया है। श्री चौधरी का निलंबन जारी रहेगा। उन्होंने निलंबन तथा आरोपपत्र को रद्द करने के लिए 22 अप्रैल 2019 को कैट के समक्ष एक और ओ.ए. दायर किया है। यह मामला 20 मई 2019 के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

2. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (एन.सी.डी.आर.सी.):

2.1 अप्रैल 2019 के माह के दौरान, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जिसके लिए विभाग बजटीय प्रावधान करता है, ने निम्नलिखित निर्णय दिए, जो ध्यान देने योग्य हैं और उपभोक्ताओं के हितों में हैं: -

2.1.1 **पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम गोविंदन राघवन तथा अन्य:**

तत्काल मामले में, प्रतिवादी/फ्लैट क्रेता ने गुरुग्राम में एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए बिल्डर के साथ एक अपार्टमेंट बायर करार किया। बिल्डर करार के अनुसार अधिभोग (ऑक्यूपेंसी) प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने में विफल रहा और उसके बाद, क्रेता ने राष्ट्रीय आयोग से संपर्क किया। राष्ट्रीय आयोग ने पूरी राशि 10.7% की दर से ब्याज के साथ जो करार में उल्लिखित दर (6%) से अधिक है, को वापिस करने का आदेश दिया। बिल्डर ने राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय से संपर्क किया, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय आयोग के निर्णय की इस नोटिंग के साथ परिपुष्टि की कि क्रेता/बिल्डर करार में एकतरफा खंडों के निगमन से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 की धारा 2 (आर) के अनुसार अनुचित व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है।

2.1.2 **जेपी बनाम अन्य:**

भारत के उच्चतम न्यायालय ने प्रतितोष आयोग के समक्ष उपभोक्ता शिकायतों की पोषणीयता के मुद्दों से संबन्धित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (एन.सी.डी.आर.सी॰) के निर्णय की परिपुष्टि की।

यह मामला जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड (जे.ए.एल.) के विरुद्ध व्यथित गृहक्रेताओं द्वारा दायर की गई उपभोक्ता शिकायतों से संबंधित है। आयोग का आदेश इस पर था कि व्यथित गृहक्रेता प्रतितोष आयोग के समक्ष जाने के हकदार हैं और इसके साथ-साथ जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड(जे.पी.) के विरुद्ध दिवालिया की लंबित कार्यवाहियाँ जारी रहेंगी। अतः 300 से अधिक मामलों को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की अनुमति दी गई।

2.2 **राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (एन.सी.डी.आर.सी॰) में रिक्तियों को भरा जाना:**

विभाग ने इस तथ्य के दृष्टिगत कि माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामलों की संख्या अधिक है और निर्णय प्रतीक्षित है, एन.सी.डी.आर.सी॰ में रिक्तियों को भरने के लिए रिक्ति परिपत्र जारी करने की कार्यवाही करने के संबंध में विद्वान महान्यायवादी की राय मांगी। विभाग का प्रयास होगा कि रिक्तियों को शीघ्रातिशीघ्र भरा जाए। इस दौरान, विभाग ने एक न्यायिक सदस्य जिनका कार्यकाल 29/05/2019 को समाप्त हो रहा है, के कार्यकाल को 6 महीने तक का विस्तार देने के लिए ए.सी.सी को एक प्रस्ताव भेजा है।

3. भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.):

3.1 **आई.आई.टी.-दिल्ली और आई.आई.टी. मुंबई के साथ भारतीय मानक ब्यूरो का समझौता-ज्ञापन:**

भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) ने मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) दिल्ली और मुंबई के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

3.1.1 समझौता ज्ञापन के अनुसार , आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई मानकीकरण की प्रासंगिकता की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए अवसंरचना सहायता करेंगे। **भारतीय मानक ब्यूरो**ऐसे अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। अवसंरचना सहायता और वित्त के लिए निबंधन और शर्तें संयुक्त रूप से तैयार की जाएगी जो अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की प्रकृति और अवधि पर आधारित होंगी।

3.2 नए विनियमों जिन्हें सरकार के नीति संबंधी निर्देश के बावजूद महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है, के दृष्टिगत भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अधीन दुःसाध्यता आदेश का निराकरण, 10 अप्रैल 2019 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। उपरोक्त अधिसूचना में यह प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से ब्यूरो शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए अधिनियम के संगत विनियम बना सकता है। अतः महानिदेशक की अध्यक्षता वाली कार्य समिति के स्थान पर माननीय मंत्री की अध्यक्षता वाला ब्यूरो विनियम बनाने और अधिसूचित करने के लिए प्राधिकृत हैं।

4. दालों का बफर स्टॉक:

4.1 30 अप्रैल 2019 कि स्थिति के अनुसार, 20.50 लाख मीट्रिक टन के पुराने स्टॉक में से, 20.05 लाख मीट्रिक टन का निपटान कर दिया गया है और शेष की आपूर्ति राज्यों को की जाने की वचनबद्धता है। इस बफर की पुनः पूर्ति कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की मूल्य समर्थन योजना के तहत अधिप्राप्त किए गए लगभग 10.57 लाख मीट्रिक टन के अंतरण के माध्यम से की गयी है।

4.2 दालों के निपटान पर नियमित साप्ताहिक समीक्षा बैठकें माह के दौरान दालों का बफर-स्टॉक जिसमें सेना को आपूर्ति भी शामिल है, से संबन्धित मुद्दों पर चर्चा करने और उनका समाधान करने के लिए आयोजित की गई थीं।

4.3 राज्य स्तरीय मूल्य स्थिरीकरण कोष के प्रस्तावों की स्थिति की पुनरीक्षा करने के लिए 16 अप्रैल 2019 को एक वीडियो कान्फ्रेंस आयोजित की गयी थी। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्याशित बाजार रूपरेखाओं पर आधारित केंद्रीय बफर स्टॉकों से खुदरा प्याज/दालों की संभावना की जांच करने के लिए कहा गया था।

4.4 वर्ष 2019-20 के लिए दालों और प्याज की संभावना और इसके मूल्यों के प्रबंधन पर सी.ओ.एस. के लिए एक नोट 16 अप्रैल 2019 को परिचालित किया गया था।

5. आवश्यक वस्तु अधिनियम:

5.1 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत जारी किए गए आदेशों में लाइसेंस के वार्षिक / आवधिक नवीनीकरण की अपेक्षा को समाप्त करने के लिए एक सी.ओ.एस नोट 4 अप्रैल 2019 को भेजा गया था।

5.2 खाद्य वस्तुओं में कार्टिलाइजेशन / जमाखोरी और अव्यावहारिक व्यापार की निगरानी करने के लिए गठित समूह की बैठक 3 अप्रैल 2019 को आयोजित की गई थी।

6. उपभोक्ता शिकायतें:

अप्रैल माह के दौरान राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में 55,770 शिकायतें दर्ज हुई थी जो अभी तक सबसे अधिक है। मोबाइल एप्प और वेब के माध्यम से दर्ज की गयी शिकायतें टेलीफ़ोन कॉल के माध्यम से प्राप्त हुई शिकायतों की तुलना में बढ़ रही है। सभी शिकायतों के समाधान के लिए सभी प्रयास शीघ्रातिशीघ्र किए जा रहे हैं।

7. **मंहगाई की वार्षिक दर के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:**

क्रम सं.	सूचकांक	मुद्रास्फीति दर (%)		
		मार्च, 2019 (अनन्तिम)	फरबरी, 2019 (अनन्तिम)	मार्च, 2018 (अंतिम)
1	थोक मूल्य सूचकांक **(वार्षिक)**	3.18	2.93	2.74
2	थोक मूल्य सूचकांक **(खाद्य वस्तुएं)**	5.68	4.28	-0.22
3	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(औद्योगिक कामगार)**	7.67	6.97	4.36
4	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(संयुक्त)***	2.86	2.57	4.28
5	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक)**	0.30	-0.73	2.81

*:- 2012=100 #: नया बेस आधार 2011-12=100

9. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्धित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा यथासंसूचित, पूरे देश के 109 केंद्रों से प्राप्त 22 आवश्यक वस्तुओं के अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों के संबंध में मार्च, 2019 माह की तुलना में अप्रैल, 2019 माह के मूल्य रूझान **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

10. मंत्रिमंडल सचिवालय को अन्य बिंदुओं के संबंध में सूचित की जाने वाली अद्यतन जानकारी **अनुलग्नक II** पर दी गई है।

अनुलग्नक -I

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य – पिछले दो माह की तुलना में रूझान

राज्यों सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा संसूचित, पूरे देश के 109 केंद्रों से प्राप्त 22 आवश्यक वस्तुओं के अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों को संकलित किया गया है और मार्च, 2019 माह की तुलना में अप्रैल, 2019 माह के लिए मूल्यों का रूझान नीचे दिया गया है:-

आवश्यक वस्तुओं की अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा कीमतें

(रूपए/कि.ग्रा.)

क्रम संख्या	वस्तु	अप्रैल, 2019 (अंतिम)	मार्च, 2019 (विगत) माह	अंतर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चावल	30	30	0
2	गेहूं	26	26	0
3	आटा	28	28	0
4	चना दाल	65	65	0
5	तूर दाल	76	75	1
6	उड़द दाल	72	72	0
7	मूंग दाल	77	76	1
8	मसूर दाल	62	63	-1
9	चीनी	38	38	0
10	दूध	43	43	0
11	मूंगफली का तेल	127	127	0
12	सरसों का तेल	108	109	-1
13	वनस्पति	81	81	0
14	सोया तेल	92	92	0
15	सूरजमुखी का तेल	99	99	0
16	पॉम ऑयल	75	76	-1
17	गुड़	43	43	0
18	चाय खुली	211	210	1
19	नमक पैकबंद	15	15	0
20	आलू	16	15	1
21	प्याज़	16	16	0
22	टमाटर	26	22	4

स्रोत: राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

अनुलग्नक-II

उपभोक्ता मामले विभाग

1. दीर्घकालीन अंतर मंत्रालयी परामर्शों के कारण लंबित हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले:

-कोई नहीं -

2. सचिवों की समिति के निर्णयों का अनुपालन:

ई-समीक्षा पोर्टल पर अपटेड कर दिया गया है।

3. तीन माह से अधिक समय से लम्बित 'अभियोजन के लिए स्वीकृत' मामलों की संख्या:

शून्य

4. ऐसे मामलों का विवरण जिनमें सरकार के कार्य व्यापार नियमों अथवा स्थापना नीति से विपथन हुआ है:

शून्य

5 . ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन की स्थिति:

फाईलों की कुल संख्या	ई-फाईलों की कुल संख्या
221	**175**

6. लोक शिकायतों की स्थिति:

अप्रैल, 2019 माह में निपटाई गई लोक शिकायतों की संख्या	अप्रैल, 2019 माह के अन्त में लम्बित लोक शिकायतों की संख्या
700	**382**

7. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर पंजीकृत शिकायतों की स्थिति

अप्रैल, 2019 माह के दौरान, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर पंजीकृत डॉकेटों की कुल संख्या	**अप्रैल,2019 माह के अंत तक निपटाए गए कुल डॉकेटों की संख्या**
55770	**42300**

.8 न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन :

उपभोक्ता मामले विभाग का मूल्य निगरानी कक्ष 22 आवश्यक वस्तुओं की खुदरा एवं थोक कीमतों की दैनिक आधार पर मॉनीटरिंग करता है। यह कीमतें राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा दैनिक आधार पर मुख्यत: ऑनलाईन तरीके से रिपोर्ट की जाती हैं। इन कीमतों को तत्काल ही विभाग की वेबसाईट के माध्यम से प्रसारित कर दिया जाता है। क्योंकि कीमतों की ऑनलाईन रिपोर्टिंग के कारण कीमतों की रिपोर्टिंग और उनके प्रसारण में कम समय लगता है। विलम्ब से बचने तथा अधिक प्रभावी परिणामों के लिए अनुदेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार, दिन-प्रति-दिन के कार्यालय कार्यों को भी ऑनलाईन किया जा रहा है।

****